

389



दि. 13/10/15

न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर मण्डल  
प्रकरण क्रमांक 12015 पुनरीक्षण

M.K. Jain  
Advocate

- 1- गनपत सिंह पुत्र काशीराम जाति हरिजन आयु 90 वर्ष
- 2- रानी लोधी फत्ती स्व० संजय सिंह
- 3- हम्बर सिंह पुत्र फलू सिंह आयु-42 वर्ष
- 4- धुवीर सिंह पुत्र फलू सिंह
- 5- धर्मेन्द्र पुत्र हमरतलल आयु-34 वर्ष
- 6- शम कम्रलल पुत्र हमरतलल आयु-37 वर्ष जाति लोधी

सभी निवासीगण- ग्राम अडियाकला तहसील गुलाबगंज जिला विदिशा मण्डल

--आवेदकाण

बनाम

- 1- सनमान सिंह पुत्र बाबूल जाति दगो आयु-40 वर्ष निवासी-ग्राम अडियाकला तहसील गुलाबगंज जिला विदिशा मण्डल
- 2- मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिला क्लेक्टर विदिशा जिला विदिशा मण्डल

--अनावेदकाण

पुनरीक्षण आवदन-पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश  
मू-राजस्व सीला विरुद्ध आदेश दिनांक 8-10-15  
सीमाकिन न्यायालय राजस्व निरीक्षाक गुलाबगंज  
द्वारा प्रकरण क्र० 48 12 12 2014-15 में पाठिस

दिनांक 13-10-15 को  
श्री राम को ज्ञान  
करिअर द्वारा प्रस्तुत।


13/10/15  
50

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3342-एक/15

जिला - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एम.के. जैन उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">   <b>प्रशासकीय सदस्य</b> </p>	